

उत्तरांचल सरकार  
वित्त अनुभाग-5  
संख्या- 98/वि0अनु0-5/स्टाम्प/2003  
देहरादून: दिनांक 19 फरवरी, 2003  
अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, वर्ष 1908) की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और रजिस्ट्रेशन मैनुअल के भाग-2 (सातवे संस्करण) के परिशिष्ट 5 में दी गयी रजिस्ट्रीकरण सारणी में श्री राज्यपाल अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण फीस की तालिका विहित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

ऐसे लेखपत्र जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त लेखपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के रूप से प्रोसेसिंग किया जाना है, के लिये दस रुपये किन्तु न्यूनतम पचास रुपये।

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
सचिव।

संख्या- 229(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3. आयुक्त कर/महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन थार्न हिल रोड़, इलाहाबाद।
5. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग-5 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)  
अपर सचिव।